

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/4380-83

दिनांक :- 29-03-2014

केडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या18/2014-15

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना एफ.1 (11) एफडी/ रेवेन्यू/ 96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 24.05.13 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.13 में दिये गये निर्देशों तथा संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प.11(2)वित्त/राजस्व/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 09.09.14 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की केडर स्ट्रेन्थ में कोष एवं लेखा विभाग की सूची में नीचे वर्णित पदों को शामिल किया जाता है:-

क्र.स.	विभाग/कार्यालय का नाम	स.ले.अ.	लेखाकार	क.ले.
1	कोष कार्यालय उदयपुर (ग्रामीण)	—	02	—
	योग	—	02	—

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की केडर स्ट्रेन्थ में कोष एवं लेखा विभाग की सूची में नीचे वर्णित पदों को समाप्त किया जाता है :-

क्र.स.	विभाग/कार्यालय का नाम	स.ले.अ.	लेखाकार	क.ले.
1	कोष कार्यालय उदयपुर	—	02	—
	योग	—	02	—

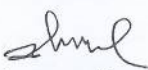

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/4380-83

दिनांक :- 29-03-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (कोष एवं बजट) मुख्यालय।
3. कोष कार्यालय उदयपुर (ग्रामीण)/ कोष कार्यालय उदयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे- II विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।


(के.एम. मीणा)